Unilever

Hindustan Unilever Foundation

सालो पंचायत में जांवु है, ने विकासनी योजना बनावबी है।

आपणी योजना, आपणो विकास

VAAGDHARA

जैसा की आप सभी को जानकारी होगी कि पंचायती राज विभाग भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2018 एवं 2019 में जनअभियान-सबकी योजना सबका विकास (आपणी योजना, आपणो विकास) चलाया गया था। इस अभियान के तहत राजस्थान राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों मे सभी विकास के कार्यो को सफलतापूर्वक पुर्ण किया गया था। गत वर्ष की भाँती इस वर्ष भी इस अभियान का आयोजन दिनांक 02 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है, इसीलिए इस पर्चे के माध्यम से सभी समुदाय तक यह सन्देश पहुंचाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़कर गांव के विकास की कार्य योजना निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही साथ इसके माध्यम से आप सभी को ग्राम पंचायत विकास योजना एवं इसमें होने वाले कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी भी प्रदान की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक जनसमुदाय इससे लाभान्वित हो। ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक रूप से यह अनिवार्यता की गई है कि उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जी.पी.डी.पी.) तैयार की जाए।

दृष्टिपत्र (विजन)

ग्राम पंचायत विकास योजना के दीर्घकालीन एवं वार्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु वार्ड एवं ग्रामसभा के दौरान उपस्थित समस्त जन समुदाय अपने ग्राम पंचायत के विकास हेतु किये जाने वाले दीर्घकालीन उद्देश्यों पर एकमत होते हुए पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक कार्य योजना में की जाने वाली गतिविधियों का निर्धारण उपलब्ध संसाधन अनुसार तैयार कर ग्राम पंचायत विकास कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करेंगे।

ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने की जिम्मेदारी सौपी गई है। अंतः एक आदर्श ग्राम पंचायत के लिए जी.पी.डी.पी. योजना के अंतर्गत 09 संकल्प भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

संकल्प : 1- गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गांव का निर्माण।
संकल्प : 2- स्वस्थ्य गांव का निर्माण।
संकल्प : 3- बाल हितेषी गांव का निर्माण ।
संकल्प : 4- पर्याप्त जल युक्त गांव का निर्माण ।
संकल्प : 5- स्वच्छ एवं हरित क्रांति गांव का निर्माण ।
संकल्प : 6- आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गांव का निर्माण।
संकल्प : 7- सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव का निर्माण ।
संकल्प : 8- सुशासन वाले गांव का निर्माण ।
संकल्प : 9- महिला हितैषी गांव का निर्माण।

ग्राम पंचायत विकास योजना
सबकी योजना सबका विकास
पंचायती राज

पंचायत स्तरीय संसाधन

इन सभी संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए पंचायत स्तरीय संसाधनों का उपयोग कर अपनी पंचायत को एक आदर्श पंचायत बना सकते है।

संकल्प : 1 गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गांव के निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आजीविका योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, कौशल विकास प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बाजार हस्तक्षेप एवं समर्थन मूल्य योजना का उपयोग कर ग्राम पंचायत के संकल्प को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

संकल्प : 2 स्वस्थ्य गांव के निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, सघन मिशन इंद्रधनुष, पोषण अभियान, राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित आई.सी.डी.एस. स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय सहयोग, उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बैक्टीरिया जनित रोग, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना का उपयोग कर ग्राम पंचायत को संकल्प को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

संकल्प : 3 बाल हितेषी गांव के निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यान भोजन योजना, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा योजना, समेकित बाल सुरक्षा योजना, चाइल्ड लाइन 1098, खेलो इंडिया, 15 वित्त आयोग अनुदान, फिट इंडिया मूवमेंट, राज्य वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन वात्सल्य, आई.सी.डी.एस. योजना का उपयोग कर ग्राम पंचायत के संकल्प को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

संकल्प : 4 पर्याप्त जल युक्त गांव के निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जल संसाधन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन, भूजल प्रबंधन, नदी घाटी परियोजना प्रबंधन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल मिशन, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, मनरेगा योजना का उपयोग कर ग्राम पंचायत के संकल्प को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

संकल्प : 5 स्वच्छ एवं हरित क्रांति गांव के निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, पीएम कुसुम, पीएम सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बायो गैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, मनरेगा ग्रीन इंडिया मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 15 वित्त आयोग अनुदान, स्वच्छ भारत मिशन योजना, राज्य वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय बाल रोपण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन, ग्रीन कनेक्ट सोलर स्टाफ प्रोग्राम पार्क विकास योजना का उपयोग कर ग्राम पंचायत के संकल्प को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

संकल्प : 6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गांव के निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में मनरेगा, आत्मनिर्भर राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पी.एम.ए.वाय. ग्रामीण योजना, ग्रीन कंडक्ट सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना, 15 वित्त आयोग स्वच्छ भारत मिशन, राज्य वित्त आयोग अनुदान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन योजना, पी.एम. कुसुम योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्रों हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम योजना का उपयोग कर ग्राम पंचायत के संकल्प को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

संकल्प : 7 सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव के निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में राज्य एवं केंद्र की सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसमें विधवा,परित्यक्ता, दिव्यांग, वृद्ध इत्यादि को पेंशन वन ऑफ सेंटर, दिव्यांग पीएम श्रम योगी मान धन योजना, समेकित बाल विकास संरक्षण कार्यक्रम, अनुसूचित जाति के

लिए कोचिंग मार्गदर्शन और छात्रवृत्ति उत्तर पूर्वी क्षेत्र आजीवीका परियोजना, विमुक्त घुमंतू जनजातियों के आर्थिक विकास की योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अभियान अधिनियम, दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, आई.सी.डी.एस. राष्ट्रीय केयर सेवाएं, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजना, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए विकास हेतु योजना, प्रधानमंत्री महिला हेल्पलाइन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विकास हेतु योजना का उपयोग कर ग्राम पंचायत के संकल्प को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

संकल्प : 8 सुशासन वाले गांव के निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, 15वां वित्त आयोग अनुदान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राज्य वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा जल जीवन मिशन, राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य पोषण कृषि पशुपालन बागवानी एवं आजीविका आदि कार्यक्रम राज्य प्रायोजित योजना का उपयोग कर ग्राम पंचायत के संकल्प को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

संकल्प : 9 महिला हितैषी गांव का निर्माण के लिए

पंचायत स्तरीय संसाधन में मनरेगा एकीकृत बाल संरक्षण योजना, मिशन वात्सल्य, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, मिशन शक्ति, उज्ज्वल एवं वन स्टॉप सेंटर, किशोरी शक्ति योजना, निर्भयाफंड, मिशन पोषण ,महिला हेल्पलाइन 181 सुधार गृह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आई.सी.डी.एस., बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता, एस. टी. पी., समग्र शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के पोषण हेतु राष्ट्रीय योजना, एस. आई. जी.एस. ई. तकनीकी शिक्षा पल में लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना।

इन संकल्प के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तगर्त सम्पादित किये जाने वाले कार्य :-

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को तीन स्तर पर समन्वय समितियों का गठन कर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के नियोजन में आवश्यक भूमिकाओं का निर्वाहक करते हुए समावेशी विकेन्द्रीकृत ग्राम पंचायत स्तरीय विकास योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विकास की योजनाएँ बनाई जाती है ।

- ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पंचायत राज्य अधिनियम के तहत 11 अनुसूची में वर्णित 29 विषयों यथा-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेय जल व्यवस्था, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन, रोजगार को बढ़ावा, विद्युतीकरण, रोड एवं पुलिया, आवास, कृषि एवं सहायक सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत की निजी आय में बढ़ोतरी के लिए व्यावहारिक गतिविधियों का समावेश किया जाये।

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध समस्त संसाधनों (प्राकृतिक, माननीय एवं संसाधन) का ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहयोग दल के द्वारा आंकलन कर ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) को उपलब्ध करवाएंगे।

- ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी समुह ग्राम पंचायत के प्राकृतिक संसाधन, बुनियादी ढाचें एवं सेवाएं, प्रमुख संकेतांक संबंधी आंकड़े एवं विकास का आंकलन, स्थानीय प्रशासनिक तंत्र, वित्तीय जानकारी, त्वरीत उन्नति के लिए नए क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत का SWOC (सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर एवं चुनौती) विश्लेषण कर ग्राम पंचायत समन्वय समिति को अवगत करवाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे।

- राज्य स्तर से पंचायती राज विभाग व अन्य विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में हस्तांतरित की जाने वाली राशि के अनुसार सहभागी विकेन्द्रीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण करवाया जाएगा।

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के दौरान ध्यान रखा जाए कि पूर्व प्रस्तावित ग्राम पंचायत विकास योजना में कम से कम 40 प्रतिशत राशी का व्यय सामाजिक मुद्दों/गतिविधियों जैसे-पूरक पोषण, कुपोषण बच्चों एवं महिलाओं में अरक्तता, लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा, महामारी नियंत्रण, शिशु एवं महिला मृत्यु दर में सुधार, संस्थागत प्रसव, पंचायतों को खुले में शौचमुक्त करना, महिला सशक्तिकरण इत्यादि पर किया जाएगा।

- ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण प्रक्रिया से पूर्व वार्ड वाईज चयनित सोशल मॉबिलाईजर ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए उपलब्ध होने वाली राशि व योजना की महत्वता को बताते हुए ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकताओं को सम्मिलित करने हेतु समुदाय के समस्त नागरिकों को ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने हेतु अपील करेगा ।

- स्पेशल मॉबिलाईजर वार्ड की आवश्यकताओं से तकनीकी सहयोग दल एवं ग्राम समन्वय समिति को अवगत कराया जाएगा।

- ग्राम पंचायत समन्वय समिति सोशल मॉबिलाईजर एवं तकनीकी सहयोग दल द्वारा पी.आर.ए. एवं अन्य सहभागी प्रयोगो का इस्तेमाल किए गए विश्लेषण, ग्राम पंचायत की आवश्यकताएं तथा ग्राम पंचायत विकास हेतु क्रियान्वित किये जाने वाली चिन्हित गतिविधियों से अवगत करवाते हुए ड्राफ्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

- ग्राम पंचायत समन्वय समिति ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं अनुसार बनाए गए ड्राफ्ट ग्राम पंचायत विकास योजना का ब्लॉक संदर्भ समूह से तकनीकी प्रशिक्षण उपरांत ग्राम सभा के पहल पर गतिविधियों की प्राथमिकता तय कर अनुमोदित हेतु रखा जाएगा।

- अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित पंचायत समिति कार्यालय को संकलन हेतु अग्रेषित की जाएगी पंचायत समिति स्तर पर समस्त ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं का समेकन कर पंचायत समिति स्तरीय कार्यो/गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पंचायत समिति की साधारण सभा से अनुमोदन करवाकर जिला स्तरीय समन्वय समिति को अग्रेषित करेंगे। पंचायत समिति सभा से अनुमोदित करते हुए कार्यो एवं गतिविधियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेंगी, अपितु पंचायत समिति को अपने क्षेत्राधीन किसी ग्राम पंचायत के अति-आवश्यक कार्य अथवा गतिविधियों को जुड़वाने के लिए ग्राम सभा से आग्रह कर सकती है।

- अनुमोदित पंचायत समिति विकास योजना पंचायत समिति कार्यालय से संबंधित जिले को संकलन हेतु अग्रेषित की जाएगी। जिला स्तर पर समस्त पंचायत समितियों की विकास योजनाओं का समेकन कर जिला स्तर के कार्यो/गतिविधियो को सम्मिलित करते हुए जिला परिषद की साधारण सभा से अनुमोदन करवाकर तत्पश्चात जिला आयोजन समिति से अनुमोदन करवाकर पंचायती राज विभाग को अग्रेषित करेंगे।

जी.पी. डी. पी. कैसे बनता है :- ग्राम पंचायत के चुने गए जनप्रतिनिधि, पंचायत बॉडी, जनसंगठन एवं समुदायी मिलकर इस प्लान को बनाते है, जो ग्राम पंचायत के भागो की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक न्याय इत्यादि कार्य परिलक्षित होने चाहिए ताकी पंचायत का विकास सभी क्षेत्र में हो सके।

वागधारा परिसर कूपड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Contact :+91-9414082643, Fax : +91-9024573411
E- mail : vaagdhara@gmail.com, Website : www.vaagdhara.org